

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-७
(पूर्व पर्यावरण अनुभाग-२)
संख्या-17/2019/एन.जी.टी.-261/55-पर्या-२-२०१९-४४(रि)८/२०१९
लेखनकाल : दिनांक : १४ जून, २०१९

वर्गीकरण छाप

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०६० सं०-६०६/२०१८ Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक १२.१०. २०१८ द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, २०१६, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, २०१६, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेरट नियम, २०१६, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, २०१६ के प्राविधानों का कार्यान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के लिए मा० न्यायाधीश श्री देवी प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०६० सं०-६०६/२०१८ Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक १६.०१. २०१९ द्वारा उपरोक्त गठित समिति को संशोधित करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, २०१६, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, २०१६, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेर्स्ट नियम, २०१६, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, २०१६, ई-वेर्स्ट प्रबन्धन नियम, २०१६ एवं परिसंकरण अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, २०१६ के प्राविधानों का कार्यान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अनुश्रवण समिति का गठन निम्नवत् किया गया है—

- Add. Com.
(Law)
- | | |
|--|---------------|
| i. मा० न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह | —अध्यक्ष |
| ii. सचिव, नगर विकास विभाग | —सदस्य |
| iii. सचिव, पर्यावरण विभाग | —सदस्य |
| iv. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग | —सदस्य |
| v. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | —सदस्य |
| vi. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि | —सदस्य |
| vii. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | —सदस्य संयोजक |

Commissioner
26.06.2019

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०६० सं०-६०६/२०१८ Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक १६.०१.

२०१९ द्वारा गठित उपरोक्त अनुश्रवण समिति का कार्यकाल निम्नवत् निर्धारित किया गया है—

ACCT(१) ".....The Committees may work tentatively for six months or as may be found necessary."

27.06.2019
(क्र.)

1. १५६०३
२७.६.१९

2— मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-६०६/२०१८ Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, २०१६ मे पारित आदेश दिनांक २६.०४. २०१९ गे प्रदेश के प्रमुख वायु प्रदूषित शहरों एवं किटिकली/सीरियराली प्रदूषित क्षेत्रों मे व्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश की नदियों मे विशेषकर प्राथमिकता वाले नदी खण्डों के प्रदूषण नियंत्रण, प्रदेश मे ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित निर्सारण, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन अपशिष्ट प्रबन्धन, ई-वेस्ट प्रबन्धन, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ई०टी०पी०), संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (सी०ई०टी०पी०) की स्थापना/संचालन से संबंधित कार्ययोजनाओं एवं निरामानियों के अनुपालन का अनुश्रवण युक्त राखिए, इ०३० दिये गये हैं।

मा० अधिकरण के उपरोक्त आदेश दिनांक २६.०४.२०१९ के अनुपालन मे मुख्य सचिव, ल०प्र० द्वारा प्रदेश मे समर्त अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों यथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, २०१६, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, २०१६, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट नियम, २०१६, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, २०१६, ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम, २०१६ एवं परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, २०१६ के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही तथा उक्त से सम्बन्धित कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करते हुए मा० अधिकरण के समक्ष अनुपालन आख्या नियमित रूप से प्रस्तुत की जानी है।

3— मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-६०६/२०१८ Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, २०१६ मे मा० अधिकरण के स्तर से गठित विभिन्न समितियों के अग्रेतर कार्य किये जाने के संबंध मे दिनांक २६.०४.२०१९ को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं, जिसके सुसंगत अंश निम्न प्रकार हैं—

" 26. Vide order dated ०५.०३.२०१९, dealing with State of Himachal Pradesh, it has been directed that the Apex Committee is to conclude its proceedings by ३०.०४.२०१९ and furnish its final report. Thereafter, monitoring at apex level can be done by MoEF&CC and CPCB in terms of Rules ५ and १४ of the SWM Rules respectively and direction of this Tribunal vide order dated २२.१२.२०१६ [Para ४३(९)]. However, the State Level Committees as directed by the Tribunal headed by retired Judges and the Chief Secretaries will continue including the State and District Level Committees. After expiry of the six months term of the Committees, the Chief Secretary may take a decision whether such Committees are required to continue further. This direction is being issued as the Chief Secretaries have taken over the monitory".

4— उपरोक्त प्रस्तर-३ मे वर्णित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक २६.०४.२०१९ तथा प्रस्तर-१ गे वर्णित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक १६.०१.२०१९ द्वारा अनुश्रवण समिति हेतु निर्धारित कार्यकाल के दृष्टिगत मा० अधिकरण के आदेश दिनांक १६.०१.२०१९ द्वारा गठित अनुश्रवण समिति को दिनांक १५.०७.२०१९ से समाप्त माना जाएगा।

5— मा० अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-६०६/२०१८ Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, २०१६ मे पारित आदेश दिनांक २६.०४.२०१९ के अनुपालन मे प्रदेश मे समर्त अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों यथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, २०१६, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, २०१६, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट नियम, २०१६, जैव

(क्र०)

चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016 एवं परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही तथा उक्त से सम्बन्धित कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति के अनुश्रवण हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन अनुश्रवण समिति गठित की जाती है—

- | | | |
|--------|---|-----------------|
| i. | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग | —अध्यक्ष |
| ii. | प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | —सदस्य |
| iii. | प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग | —सदस्य |
| iv. | प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग | —सदस्य |
| v. | प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | —सदस्य |
| vi. | प्रमुख सचिव/सचिव, विकित्सा शिक्षा विभाग | —सदस्य |
| vii. | प्रमुख सचिव/सचिव, पशुधन विभाग | —सदस्य |
| viii. | प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग | —सदस्य |
| ix. | प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज विभाग | —सदस्य |
| x. | प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग | —सदस्य |
| xi. | प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन | —सदस्य |
| ✓ xii. | आयुक्त, वाणिज्यिक एवं भवोरंजन कर, ७०प्र० | —सदस्य |
| xiii. | मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, ७०प्र० लखनऊ | —सदस्य |
| xiv. | सदस्य, राजस्व परिषद, ७०प्र०, लखनऊ | —सदस्य |
| xv. | निदेशक, पर्यावरण विभाग, ७०प्र०, लखनऊ | —सदस्य |
| xvi. | सदस्य सचिव, ७०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | —सदस्य |
| xvii. | महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ७०प्र० | —सदस्य |
| xviii. | क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ | —सदस्य |
| xix. | निदेशक, नीरी, नागपुर द्वारा नामित वरिष्ठ वैज्ञानिक | —विशेषज्ञ—सदस्य |
| xx. | निदेशक, आई०आई०टी०आर०, लखनऊ द्वारा नामित वरिष्ठ वैज्ञानिक | —विशेषज्ञ—सदस्य |
| xxi. | समिति के अध्यक्ष द्वारा यथावश्यकता नामित औद्योगिक संगठन, विशेषज्ञ, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि | —सदस्य |
| xxii. | सचिव, नगर विकास विभाग, ७०प्र० शारन | —रामनवयक |

6— उपरोक्त बिन्दु सं०-५ के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन अनुश्रवण समिति के कार्य दायित्व एवं Terms of References निम्नानुसार होंगे—

(५६)

/

- i. मा० अधिकरण द्वारा ओ०ए० रां०-६०६ / २०१८ Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, २०१६ में पारित आदेश संथा मा० अधिकरण द्वारा पायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पारित अन्य आदेशों के अनुपालन की स्थिति का अनुश्रवण किया जाएगा।
- ii. अपशिष्ट प्रबन्धन नियमवार समिति के कार्य दायित्व एवं Terms of References :

अपशिष्ट प्रबन्धन नियम	कार्य दायित्व एवं Terms of References
ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, २०१६	<ul style="list-style-type: none"> i. स्थानीय निकायों में Bye Laws बनाये जाने की प्रगति का अनुश्रवण। ii. प्रदेश में ठोस अपशिष्ट के ऊर टू ऊर एकत्रण एवं नियमानुसार सेग्रीगेशन की स्थिति। iii. ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु प्रदेश में स्थापित व्यवस्था की उपयुक्तता का अनुश्रवण। iv. ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु प्रदेश में स्थापित परन्तु बन्द पड़ी व्यवस्थाओं के पुर्वसंचालन की स्थिति का अनुश्रवण। v. ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु प्रदेश में प्रस्तावित व्यवस्थाओं के समयबद्ध संचालन की स्थिति का अनुश्रवण। vi. इनर्ट वेस्ट हेतु प्रदेश में सेनेटरी लैण्डफिल रथापना की स्थिति का अनुश्रवण। vii. Legacy Waste के सुरक्षित निस्तारण हेतु कार्यों की प्रगति एवं प्रस्तावित समय-सीमा की उपयुक्तता का अनुश्रवण। viii. बल्क वेस्ट जनरेटर्स द्वारा नियमानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण। ix. प्रदेश में अपशिष्ट की Burning & Littering नहीं किये जाने सम्बन्धी अनुपालन का अनुश्रवण। x. ठोस अपशिष्ट से निर्मित ईंधन आर०डी०एफ० का प्रयोग ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, २०१६ के नियम १८ के अनुसार उद्योगों में किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण। xi. उच्च कैलोरिफिक अपशिष्टों का उपयोग सीमेन्ट किल अथवा तापीय विद्युत संयंत्रों में किये जाने के अनुश्रवण। xii. नियम २२ के अन्तर्गत प्राविधानित समय-सीमा के सापेक्ष कार्यों की प्रगति। xiii. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा हेतु बफर जौन अधिसूचित किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण। xiv. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, २०१६ के प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति का व्यापक आंकलन।

(ट्र)

/

अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016	<ul style="list-style-type: none"> i. स्थानीय निकायों में Bye Laws बनाये जाने की प्रगति का अनुश्रवण। ii. प्रदेश में प्लास्टिक कैरी बैग/कटलरी/थर्मोकॉल उत्पाद पर नगर विकास विभाग के आदेश दिनांक 15.07.2017 द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध के अनुपालन का अनुश्रवण। iii. प्रदेश में अपशिष्ट प्लास्टिक के पृथक्करण, एकत्रण, परिवहन, प्रोसेसिंग एवं अन्तिम निस्तारण की स्थापित व्यवस्थाओं की उपयुक्तता का आंकलन तथा प्रस्तावित कार्ययोजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण। iv. रिसाइकिल हेतु उपयुक्त प्लास्टिक अपशिष्ट को रिसाइकलर्स तक भेजे जाने की व्यवस्था की रथापना का अनुश्रवण। v. अपशिष्ट प्लास्टिक का प्रयोग सड़क निर्माण, ऑफिल के उत्पादन, ऊर्जा के उत्पादन में किये जाने की स्थिति। vi. प्लास्टिक अपशिष्ट के खुले में जलाये जाने पर प्रतिबन्ध के अनुपालन की स्थिति। vii. ब्राण्ड ओनर, प्रोड्यूसर द्वारा Extended Producer Responsibility के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की समीक्षा। viii. प्रदेश में प्रयुक्त मल्टी लेआर पैकेजिंग पर उत्पादन का नाम, पंजीकरण संख्या तथा मोटाई प्रदर्शित किये जाने सम्बन्धी प्रावधान के अनुपालन की स्थिति। ix. प्रदेश में पंजीकृत प्रोड्यूसर, रिसाइकलर एवं मैच्यूफैक्चरर। x. खुदरा विक्रेताओं और पथ विक्रेताओं द्वारा मानकों के विपरित निर्मित प्लास्टिक उत्पाद नहीं उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी प्रावधान के अनुपालन की स्थिति। xi. नियम-17 के अन्तर्गत वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय बोर्ड को प्रेषित किये जाने का अनुश्रवण। xii. अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति का व्यापक आंकलन।
कन्स्ट्रक्शन डिमालिशन नियम, 2016	एण्ड वेर्स्ट <ul style="list-style-type: none"> i. कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन (सी० एण्ड डी०) वेर्स्ट के नियमानुसार प्रबन्धन हेतु राज्य नीति बनाये जाने की स्थिति। ii. प्रदेश में स्थापित सी० एण्ड डी० वेर्स्ट प्रोसेसिंग रांयंत्र के संचालन हेतु ८०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकार प्रदान किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण। iii. प्रदेश में सी० एण्ड डी० में वेर्स्ट की प्रोसेसिंग हेतु संयंत्र स्थापना के लिए थूमि आवंटन की स्थिति। iv. पाउन एण्ड कन्ट्री लैनिंग विभाग द्वारा सी० एण्ड डी० वेर्स्ट प्रोसेसिंग स्थल को महायोजना में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही का अनुश्रवण।

(र)

/

<p>जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016</p>	<p>v. प्रदेश में प्रस्तावित सी० एण्ड डी० वेर्स्ट प्रोसेरिंग सुविधाओं की रथापना एवं रांचालन हेतु समयबद्ध कार्ययोजना की उपयुक्तता का आंकलन।</p> <p>vi. सी० एण्ड डी० वेर्स्ट से निर्भित मेट्रियल का प्रयोग सरकारी परियोजनाओं में 10 से 20 प्रतिशत किये जाने हेतु पी०डब्ल्यू०डी० के Schedule of Rates में दरें निर्धारित किया जाना।</p> <p>vii. स्थानीय निकायों द्वारा सी० एण्ड डी० वेर्स्ट के राज्यनाले की व्यवस्था विकसित किये जाने की प्रगति।</p> <p>viii. निर्माण परियोजनाओं जिनसे जनित वेर्स्ट 20 टन/दिन से अधिक हो द्वारा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वेर्स्ट प्रबन्धन योजना रथानीय निकायों से स्वीकृत कराये जाने की स्थिति।</p> <p>ix. स्थानीय निकायों द्वारा सी०एण्ड डी० वेर्स्ट एकत्रण की दरें अधिसूचित किये जाने की स्थिति।</p> <p>x. सेवा प्रदाताओं जिनके द्वारा जल, सिवरेज, टेलीफोन, सड़क, ड्रेनेज की सुविधा प्रदान की जाती हैं द्वारा विस्तृत वेर्स्ट प्रबन्धन योजना बनाये जाने एवं समर्त जनित सी० एण्ड डी० वेर्स्ट को दैनिक हटाये जाने सम्बन्धी कार्य स्थानीय निकायों से विचार-विभर्श कर सम्पादित किये जाने की समीक्षा।</p> <p>xi. स्थानीय निकायों द्वारा सी० एण्ड डी० वेर्स्ट के सुरक्षित नियारण हेतु Information, Education & Communication System विकसित किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण।</p> <p>xii. कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेर्स्ट नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति का व्यापक आंकलन।</p> <p>i. जैव चिकित्सा अपशिष्ट का नियमानुसार पृथक्करण श्रोत पर किये जाने का अनुश्रवण।</p> <p>ii. अपशिष्ट का नियमानुसार परिवहन, संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट शुद्धिकरण सुविधाओं में किये जाने तथा परिवहन हेतु बार-कोड व्यवस्था एवं जी०पी०एस० युक्त वाहनों का प्रयोग किये जाने की स्थिति का अनुश्रवण।</p> <p>iii. अपशिष्ट के नियारण हेतु स्थापित रांयुक्त एवं कैप्टिव सुविधाओं में इन्सीन्रेटर की तकनीक नियम 5 (q) के अनुसार उच्चीकृत किये जाने की स्थिति।</p> <p>iv. चिकित्सा सुविधाओं एवं संयुक्त उपचार सुविधाओं द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार एवं साइमति जल/वायु प्राप्त किये जाने की स्थिति।</p> <p>v. दोषी इकाईयों के विरुद्ध कार्यवाही का अनुश्रवण।</p>
---	---

(An)

/

	<p>vi. प्रदेश में स्थापित संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट निरस्तारण सुविधाओं के कार्यक्षेत्र आवंटित किये जाने हेतु नीति विषयक निर्णय।</p> <p>vii. प्रदेश में संचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट निरस्तारण सुविधाओं द्वारा अपशिष्ट शोधन हेतु चिकित्सा सेवाओं से ली जाने वाली दरों में समरूपता रखे जाने हेतु नीति विषयक निर्णय।</p> <p>viii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित किये जाने की स्थिति।</p> <p>ix. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति का व्यापक आंकलन।</p>
ई-वेर्स्ट प्रबन्धन नियम, 2016	<p>i. राज्य में ई-वेर्स्ट प्रबन्धन नियम के अनुपालन हेतु Integrated Plan बनाये जाने की स्थिति।</p> <p>ii. औद्योगिक क्षेत्रों में ई-वेर्स्ट डिस्मेंटलिंग एवं रिसाइकिलिंग सुविधाओं के लिए भूमि चिन्हिकरण अथवा आवंटन किये जाने की प्रगति।</p> <p>iii. श्रम विभाग द्वारा ई-वेर्स्ट डिस्मेंटलिंग एवं रिसाइकिलिंग कार्य से सम्बन्धित कार्मिकों का पंजीकरण किये जाने की प्रगति का अनुश्रवण।</p> <p>iv. श्रम विभाग द्वारा ई-वेर्स्ट डिस्मेंटलिंग एवं रिसाइकिलिंग कार्य से सम्बन्धित कार्मिकों के वार्षिक स्वास्थ्य की जांच किये जाने की प्रगति का अनुश्रवण।</p> <p>v. श्रम विभाग द्वारा कार्मिकों के लिए Skill Development Activity किये जाने की स्थिति।</p> <p>vi. राज्य में ३०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत डिस्मेंटलर एवं रिसाइक्लर्स।</p> <p>vii. ब्राण्ड ऑनर्स तथा प्रोड्यूसर्स द्वारा Extended Producer Responsibility के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की समीक्षा।</p> <p>viii. ई-वेर्स्ट के अवैध प्रसंस्करण की स्थिति।</p> <p>ix. प्रदेश में Orphan E-waste की स्थिति तथा क्या उक्त वेर्स्ट प्राधिकृत रिसाइक्लर्स को स्थानीय निकायों द्वारा प्रेषित किया गया है।</p> <p>x. प्रदेश में नगरीय ठोस अपशिष्ट में ई-वेर्स्ट भिश्रित होने की स्थिति तथा ऐसा पाये जाने पर क्या स्थानीय निकायों द्वारा उक्त को पुथक्कृत कर प्राधिकृत रिसाइक्लर्स के गायम से प्रिस्तारित किया जाता है।</p> <p>xi. ई-वेर्स्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति का व्यापक आंकलन।</p>
परिसंकटमय	<p>i. प्रदेश में परिसंकटमय अपशिष्ट के निरस्तारण हेतु वर्तमान</p>

५८

/

अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016	में रथापित टी०एस०डी०एफ० (संयुक्त उपचार एवं निरतारण सुविधाए) द्वारा नियमों के अनुरूप संचालन की रिथिति। ii. प्रदेश में प्रस्तावित टी०एस०डी०एफ० की समीक्षा एवं समयवधू रथापना एवं संचालन की योजना का अनुश्रवण। iii. प्रदेश में अवैध रूप से निस्तारित परिसंकटमय अपशिष्ट के सुरक्षित निरतारण हेतु कार्य की प्रगति का अनुश्रवण। iv. परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुपालन की रिथिति का व्यापक आंकलन।
--------------------------------	--

- iii. राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन अनुश्रवण समिति प्रदेश में समरत अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों यथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016, कर्मकार्यक्रम एण्ड डिमालिशन वेस्ट नियम, 2016, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016 एवं परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही तथा उक्त से सम्बन्धित कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति के अनुश्रवण हेतु यथा आवश्यकता उपसमितियां गठित कर रथलीय भ्रमण कराकर रिथिति का आंकलन करायेगी।
- iv. राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन अनुश्रवण समिति द्वारा उपरोक्त अनुश्रवण के आधार पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल किए जाने हेतु त्रैमासिक अनुपालन की रिथिति की रिपोर्ट का आलेख्य तैयार कर उसे पर्यावरण विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव, र०प्र० के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

राज्या-१७/२०१९/एन.पी.ली.-२३१/५५-पर्या-२-२०१८-४४(रिट)/२०१६ तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. रजिस्ट्रार, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
2. सचिव/निजी सचिव, अध्यक्ष (मा० न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह), ओ०ए० सं०-००६/२०१८ Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में गठित अनुश्रवण समिति।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/अवरस्थापना एवं औद्योगिक विकास/लोक निर्माण/आवास एवं राहरी नियोजन/चिकित्सा, रक्षास्थल एवं परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा/पशुधन/श्रम/पंचायती राज/ग्राम्य विकास/गृह/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन।

(५६)

/

- ✓ 5. आयुक्त, वाणिज्यिक एवं मणिरंजन कर, उ०प्र० लखनऊ।
6. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
7. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा निशान, नई दिल्ली।
8. महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर/उत्तर मध्य रेलवे प्रथागराज/पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर एवं महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली।
9. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
11. सदस्य, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
12. महानिदेशक, विक्रेता एवं रवास्थ्य, उ०प्र०, लखनऊ।
13. निदेशक, पर्यावरण, उ०प्र०, लखनऊ।
14. सदस्य राचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
15. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंविलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।
16. गुरुद्वारा नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ०प्र०, लखनऊ।
17. निदेशक, नीरी, नागपुर द्वारा नामित वरिष्ठ वैज्ञानिक।
18. निदेशक, आई०आई०टी०आर०, लखनऊ द्वारा नामित वरिष्ठ वैज्ञानिक।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्पना शावस्थी)
प्रमुख सचिव।